विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री उमेश द्विवेदी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-23 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
23 (क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज जिले के हण्डिया तहसील स्थित ग्राम व परगना पिडौना (मह) में खतौनी क्रम संख्या 00879 तथा खसरा संख्या 682 राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है?	जी हाँ।
(ख)	क्या तालाब के रूप में कुछ भागों को कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा समतल करके पक्का अवैध निर्माण करा लिया गया है?	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ की आख्यानुसार 0.012 हे0 आंशिक भाग पर शौचालय व गौशाला का निर्माण किया गया है।
(ग)	यदि हाँ, तो उक्त अवैध निर्माण के लिए कौन-कौन लोग दोषी है?	उक्त अवैध निर्माण के लिए श्री नन्दलाल यादव पुत्र गंगा प्रसाद व सखाराम पुत्र द्वारिका प्रसाद व हरिश्चन्द पुत्र बलिकरन दोषी है।
(घ)	क्या जनहित में उक्त तालाब का पुनः सीमांकन कराते हुए अवैध निर्माण को हटवाकर सदन को अवगत करायेंगे?	जी हाँ। न्यायालय तहसीलदार/सहायक कलेक्टर, हण्डिया, प्रयागराज में राजस्व संहिता की धारा 67 के अन्तर्गत तहसील वाद संख्या-टी202202030402597 व नन्दलाल यादव बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित होने पर कार्यवाही की जायेगी।
(ङ)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री